राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–III/2070 जयपुर दिनांक : 27/10/2021

परिपत्र

विभागीय आदेश संख्या 25, 27, 28, 30, 470, 472, 474/2021–22 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों के किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह जानकारी में आया हैं कि कतिपय स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी आदिनांक तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया हैं। कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया जाना अत्यन्त गंभीर विषय हैं।

समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता हैं कि इस परिपत्र की पालना में अविलम्ब अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करे तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ईमेल/डाक/दस्ती के द्वारा इस निदेशालय को दिनांक 10.11.2021 तक प्राप्त हो जाये। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना न करने की स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी तथा इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–III/2070 जयपुर दिनांक : 27/10/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी ....।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन हैं कि स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय/विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करें, साथ ही निर्देशानुसार यह भी लेख हैं कि यदि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से संबंधित कार्मिक उक्तानुसार निर्देशों की पालना में स्वतः ही कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करता हैं तो यह उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही का आधार नहीं होगा और नियोक्ता प्राधिकारी ऐसे मामलों में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध किसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करेगा।
4. संबंधित कार्मिक..
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/कार्मिक–II) कार्यालय हाजा।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)